

सम्पत्ति का मूल्य रु०

ई-स्टाम्प मूल्य रु०

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक..... माह..... वर्ष..... की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् "परिषद्" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद् इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्री..... पुत्र श्री....., वर्तमान पता-....., जिसको एतद्पश्चात् पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर मुरादाबाद तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद में मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 नामक मुहल्ले में सेक्टर-..... में भूखण्ड पर निर्मित समाज के दुर्बल आय वर्ग का भवन संख्या .... का निर्माण किया है और चूँकि उक्त परिषद् ने रुपये..... (शब्दों में रुपये.....

मात्र) जिसका आधा रुपये..... (शब्दों में रुपये..... मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या.....) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब रुपये..... मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद् एतद् द्वारा मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति संख्या.....) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है :-

1- परिषद् को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2- एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

3- उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को दिनांक..... को प्रदत्त किया गया है।

4- इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाली किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

5- यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या माँगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

6- उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद् द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7- उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद् से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या.....) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को.....% (..... प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वृसल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8- पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

9- इस विलेख के अधीन परिषद् से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या ..... स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10- क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

11- सम्पत्ति का कुल मूल्य रुपये ..... है, जिसका किराया-किस्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध दिनांक ..... को बही संख्या 1 जिल्द संख्या ..... के पृष्ठ सं० ..... पर क्रमांक ..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया, जिसमें रुपये ..... का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। अतः उक्त सम्पत्ति संख्या ..... के विक्रय-विलेख में रुपये ..... का ई-स्टाम्प पेपर लगाया गया है।

नोट:- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश अधिसूचना संख्या क०नि०-5-3056/11-2001-312(381)/99 दिनांक 04-10-2001 के द्वारा दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के अधीन निर्मित सम्पत्ति में निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखितों पर रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) से अधिक के, स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

जिसके साक्ष्य में श्री ....., सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद् के लिए और उसकी ओर से और श्री ..... आशयिता दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या ..... के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

नोट:- 1- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति आवंटित की गयी।

2-(क) भवन ग्राम ....., मुरादाबाद के गाटा संख्या ..... में पड़ता है।

(ख) मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद।

(ग) भूमि गाटा सं० ..... में आवासीय भवन में प्रस्तावित है। भवन के सामने पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल नहीं है। उसके सामने ..... मीटर चौड़ी रोड है।

(घ) उक्त उप प्रस्तर-ग में उल्लिखित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।

### अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची :

सम्पत्ति संख्या श्रेणी ..... दुर्बल आय वर्ग भवन

क्षेत्रफल : 40.74 वर्ग मीटर

सीमाएं: उत्तर : ..... मीटर चौड़ी सड़क  
दक्षिण : भवन सं० .....  
पूर्व : भवन सं० .....  
पश्चिम : भवन सं० .....

उत्तर : ..... मीटर  
दक्षिण : ..... मीटर  
पूर्व : ..... मीटर  
पश्चिम : ..... मीटर

1- साक्षी : 1. हस्ताक्षर ..... विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2. नाम .....  
3. पता .....

2- साक्षी : 1. हस्ताक्षर ..... सम्पत्ति प्रबन्धक  
2. नाम ..... कृते आवास आयुक्त  
3. पता .....

1- साक्षी : 1. हस्ताक्षर ..... क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2. नाम .....  
पुत्र श्री .....  
3. पता .....

2- साक्षी : 1. हस्ताक्षर ..... 1. हस्ताक्षर .....

2. नाम ..... 2. नाम : श्री .....  
पुत्र श्री ..... पुत्र श्री .....  
3. पता ..... 3. पता : .....

E.E.-C.D.-Rohilkhand-01  
U.P.A.V.P., Moradabad